भारत INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

045648

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य : रु0 2,55,502/-
स्टाम्प मूल्य : रु0 5,54,125/-
रजिस्ट्री शुल्क : रु0 65,000/-
प्रतिफल : नियमानुसार

यह विक्रय विलेख श्री कृष्ण, [illegible] व पालू व रामदास पुत्रगण हनुमान, निवासीगण ग्राम मुजफ्फरनगर, तहसील, परगना बिजनौर, तहसील व जिला बिजनौर जिन्हें आगे

आबकारी नोटिफाइड, लखनऊ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रयपत्र किया गया है, [illegible] राम सरन पुत्र [illegible] कोरी निवासी-[illegible], मिस्त्री, पोस्ट-[illegible], जिला-फतेहपुर, आज जिन्हें आप जानते नहीं है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रयपत्र भूमि न्यायपीठ फतेहपुर खतौनी सन् 1412 से 1417 फसली के आधार खतौनी क्रमांक 309 के खसरा संख्या-117 रकबा 0.314 हेक्टेयर व खसरा संख्या-124, रकबा 0.089 हेक्टेयर कुल दो किता के कुल रकबा 0.403 हेक्टेयर, जिला-[illegible] [illegible], रकबा

मैसर्स कोलकाता, [illegible]

विषय .....

पुस्त ..... [illegible]

वाद .....

वाद .....

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

10000 रु. Rs 10000

INDIA NON JUDICIAL

0644 415970

-3-

तिजारत, तहसील व जिला-लखनऊ. के मालिक, काबिज व काश्तकार हैं तथा उपरोक्त उल्लिखित भूखण्ड का खाता उर्दूनी प्रगट खसरा 200 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है, उक्त भूमि विक्रेतागण की तिजारत में किसी है विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव अवरुद्धता या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व काश्तकार है एवं कानूनन रूपया में

5000Rs.

५०००रु. R: 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उस हस्तांतरित के पूर्व कहीं बेचा, लिखा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद या वस्तु विषय नहीं है, न ही मुकदमा इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वामित्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

3

को अपना विक्रय अलतम करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रुपये 2,55,592/- (रुपया दो लाख पचपन हजार पांच सौ बानवे मात्र) के प्रतिफल में विलेख कि उपरोक्त श्रेता द्वारा विक्रेतागण को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित शर्तों के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं किसी प्राप्ति की विक्रेतागण सही स्वीकार करते हैं, तदनुसार अपना विक्रेतागण अन्त श्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि विक्रय लिखकर इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के

5000 Rs.

भारत

५०००रु. Rs 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

अन्तरित किया गया है, को बाई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का कब्जा एवं सत्ता को बख्शी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उनके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व सर्वथा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग पर अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में शान्त एवं अबाध व

5000Rs

५०००रु. Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उपभोग करेंगे। विक्रेतागण इसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयकृता उपरोक्त अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो ऐसा उपरोक्त वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय खर्चा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से करेंगे

5000Rs

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

78152

-3-

अदालत प्रस्तुत कर लें। अतः स्थिति में विक्रेतागण एवं उनके वारिसान हर्जा व अर्थ देने हेतु बाध्य होंगे।

यह कि ऐसा विक्रयशुदा सम्पत्ति की अंतिम आंतरिक दस्तावेज अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व या अगर कोई नकशा जिसी तरह का भार अथवा सम्पत्ति पर होगा तो उसके विधिसम्मत भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

5000Rs

5000रु. Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

730[illegible]

-9-

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम गुलफाट नगर आवंनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 13,75,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.403 हेक्टेयर की मालियत रू0 5,54,125/- होती है। क्योंकि भूमि का विक्रय मूल्य बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 95,500/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ,

5000Rs

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के आसपास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि शहीद पथ से 500 मीटर पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

5000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

5000रु. Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

23898

- 11 -

परिशिष्ट : विक्रय शुल्क सम्पत्ति का विवरण

भूमि सलातिन वर्तमान खतौनी सन् 1412 से 1417 फसली के खाता खतौनी क्रम सं0 209 के खसरा संख्या-117 रकबा 0.314 हेक्टेयर व खसरा संख्या-134, रकबा 0.089 हेक्टेयर कुल दो किता व कुल रकबा 0.403 हेक्टेयर, स्थित-ग्राम-कुतबुद्दीननगर पुरसबल, परगना बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्न है।

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु. Rs 5000

(सत्यमेव जयते)

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

7394

खसरा नं0 117

पूरब	: चक मार्ग
पश्चिम	: खसरा नं0 116
उत्तर	: खसरा संख्या–119
दक्षिण	: चक मार्ग

खसरा नं0 134

पूरब	: खसरा नं0 135
पश्चिम	: खसरा नं0 135

500Rs

INDIA NON JUDICIAL

500रु. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

उत्तर : खसरा संख्या-158

दक्षिण : खसरा संख्या-135

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. श्री कृष्ण को रु0 2,38,898/- (रुपया दो लाख अट्ठाईस हजार आठ सौ अट्ठानवे मात्र) द्वारा चेक संख्या-457580,

2. राम आसरे को रु0 2,38,898/- (रुपया दो लाख अट्ठाईस हजार आठ सौ अट्ठानवे मात्र) द्वारा चेक संख्या-457581,

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3. पाचू को रु0 2,38,898/- (रुपया दो लाख अड़तीस हजार आठ सौ अट्ठानवे मात्र) द्वारा चेक संख्या-457582,

4. रामदास को रु0 2,38,898/- (रुपया दो लाख अड़तीस हजार आठ सौ अट्ठानवे मात्र) द्वारा चेक संख्या-457583,

सभी चेक दिनांकित 10.06.2006 जारीकर्ता बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 9,55,592/- (रूपया नौ लाख पचपन हजार पांच सौ बानबे मात्र) विक्रेतागणों ने सेल्स से प्राप्त किया। जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते है।

लखनऊ

दिनांकः19.06.2006

गवाह

1.

2.

3.

4.

विक्रेतागण

मोहर

हाईकोर्ट

(अभय शाह)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मकानदारान

(सैय्यद अन्वार हुसैन)
एडवोकेट

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 (ए) के अनुपालन हेतु,

फिंगर प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता : [illegible]

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह –

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह –

प्रस्तुतकर्ता / [illegible] के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता – [illegible]

बाईं हाथ के अंगुलियों के चिन्ह –

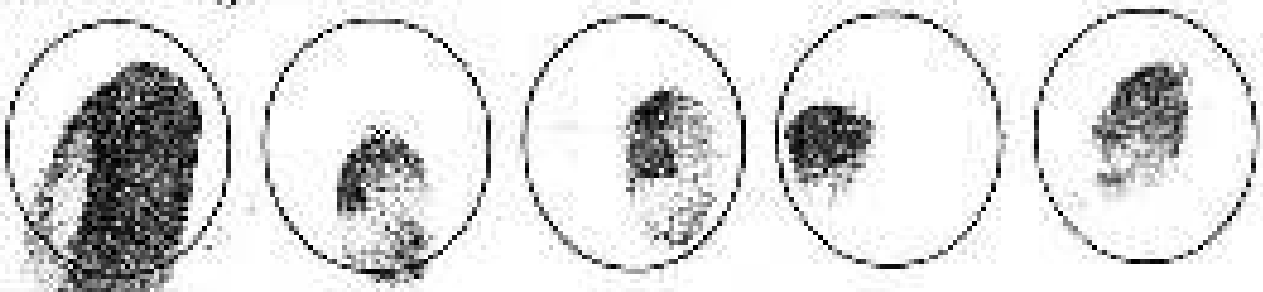

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

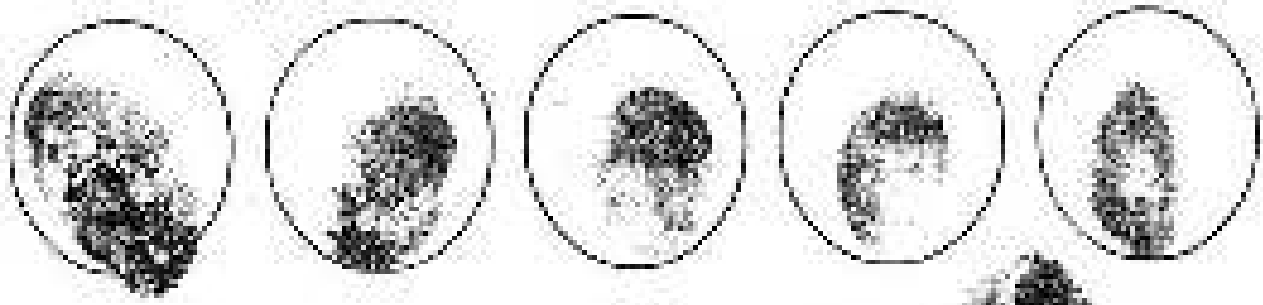

[illegible] के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा – 32 (3) के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रतिवादी / विक्रेता नाम व पता – .....

.....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह –

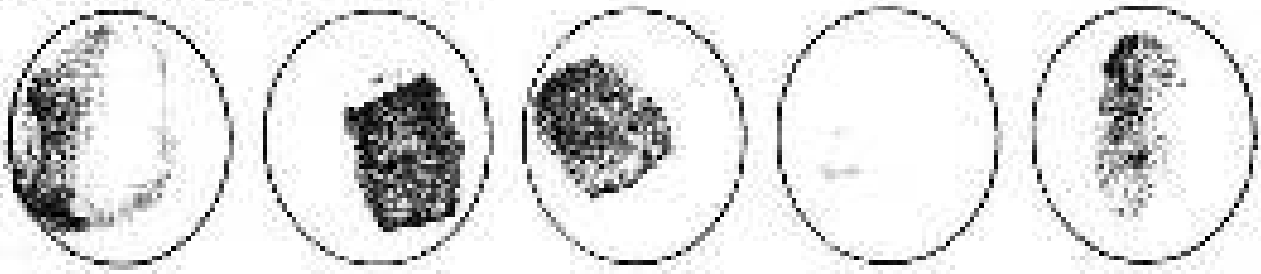

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह –

प्रतिवादी / विक्रेता

विक्रेता / क्रेता नाम व पता – .....

.....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह –

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह –

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 32 (2) के अनुपालन में।

विकलांग प्रोफाइल

अपराधी / विचाराधीन का नाम व पता :- .....

पिता का नाम व पूरा पता :- .....

दाएं हाथ के अंगुलियों के निशान :-

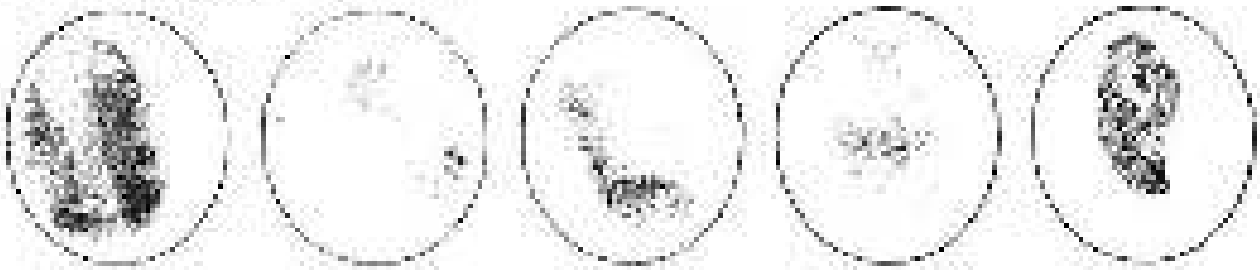

बाईं हाथ के अंगुलियों के निशान :-

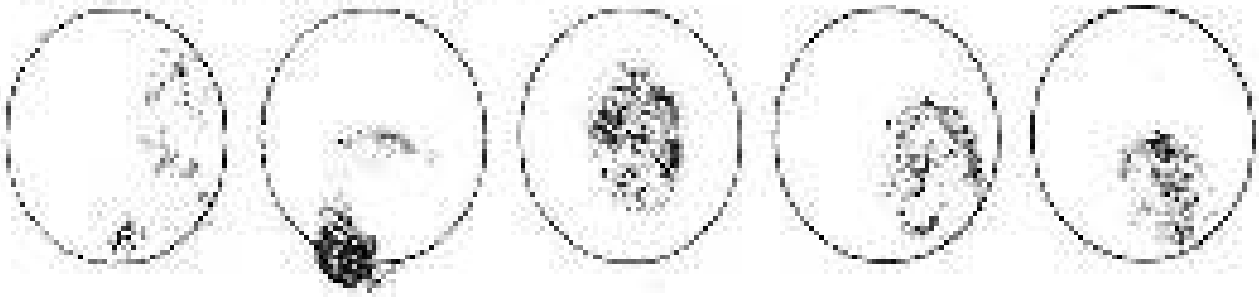

अपराधी / विकलांग / पुलिस के हस्ताक्षर

विकलांग / पीड़ित के हस्ताक्षर :- .....

बाईं हाथ के अंगुलियों के निशान :-

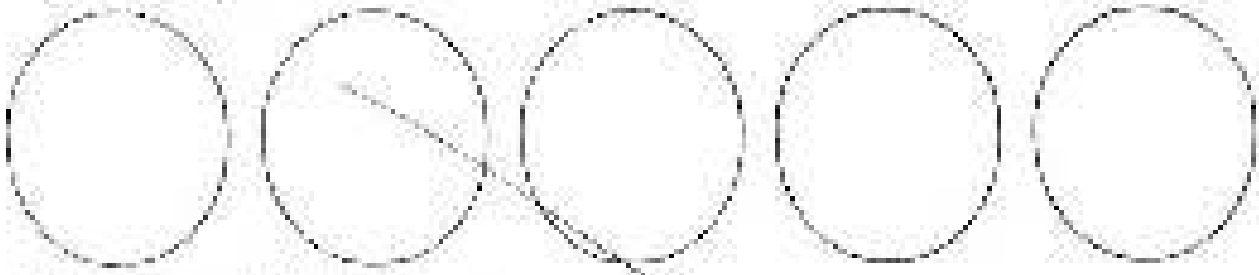

दाईं हाथ के अंगुलियों के निशान :-

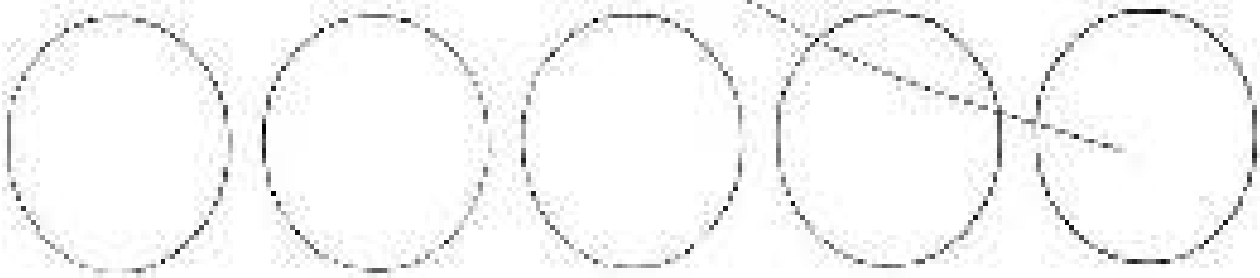

विकलांग / पीड़ित के हस्ताक्षर

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]